## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 889वी बैठक दिनांक 13.08.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 888वी बैठक दिनांक 06.08.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–**

| क्र | प्रकरण क्र. | अधिसूचित श्रेणी | जिला | परियोजना | SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित | प्राधिकरण का निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11155/2024 | 7 (c) | धार | औद्योगिक क्षेत्र | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाये |
| 2. | 9670/2023 | 1(a) | कटनी | डोलोमाईट खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | निरस्त |
| 3. | P2/19/2024 | 1 (a) | सागर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाये |
| 4. | 10187/2023 | 1 (a) | सीधी | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाये |
| 5. | 2586/2015 | 1 (a) | मंदसौर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार | परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |

(दीपक आर्य)
**सदस्य सचिव**

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
**सदस्य**

(शिव नारायण सिंह चौहान)
**अध्यक्ष**

# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 889वी बैठक दिनांक 13.08.2025 का कार्यवाही विवरण

1. **Case No 11155/2024:** Prior Environment Clearance for Industrial Park Dhar Bhensola in an area of 384.26 ha with Common Effluent Treatment Plants (CETPs) (10 MLD) at Bhensola, Tehsil-Badnawar, District, Dhar, (M.P.)by Executive Engineer, M.P. Industrial Development Corporation, RO, 101, 1st Floor, Atulya IT Park,Khandwa Road, District-Indore (MP)-452001, Email: ajaykumarjain61@gmail.com **Proposal no.** SIA/MP/INFRA1/547033/2025 Category : 7(c) Industrial Estates/ Parks/ Complexes/Areas, Export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones & Activity

    1. उक्त प्रकरण औद्योगिक विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा जिला तहसील बदनावर, जिला–धार, मध्य प्रदेश में प्रस्तावित भैंसोला औद्योगिक पार्क के साथ Common Effluent Treatment Plants (CETPs) के स्थापना हेतु पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है।
    2. SEAC की 817 वीं बैठक दिनांक 05.08.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 51 से 66 पर अंकित है।
    3. जन सुनवाई 30 जुलाई 2025 को इंडस्ट्रियल पार्क, भैंसोला, तहसील बदनावर, जिला, धार, इंदौर (म.प्र.) में आयोजित की गई। जन सुनवाई के दौरान परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि और संपत्ति का मुआवजा "भूमि अधिग्रहण, नियमानुसार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने आदि सम्बंधित मुद्दे उठाये गए।
    4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

| S.No. | Description | Details |
|---|---|---|
| 1. | Online ProposalNo | **SIA/MP/INFRA1/547033/2025.** |
| 2. | Proponent Details | Shri Ajay Kumar Jain, Executive Engineer, M.P. Industrial Development Corporation, RO, 101, 1st Floor, Atulya IT Park, Khandwa Road, District-Indore (MP)-452001, E-mail-ajaykumarjain61@gmail.com, Mobile-9424010662. |
| 3. | Project Title | *Prior Environment Clearance for Industrial Park Dhar Bhensola in an area of 384.26 ha. at Bhensola, Tehsil-Badnawar, District, Dhar, Indore (M.P.)* |
| 4. | Description of Project | Proposed Industrial Park is an environment where state-of-the art facilities engage in a reciprocal relationship with dynamic form. Together they create a special place that caters to every aspect of industrial integrity.The availability of road, railway, and port infrastructure within the vicinity of the site makes it highly attractive site for the park. |
| 5. | EC Status | New. |
| 6. | Category : Under EIA Notification 2006 | Category : 7(c) Industrial Estates/ Parks/ Complexes/ Areas, Export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones.<br>➢ Item No. as per schedule to EIA Notification, 2006 for Minor Activity 7(h) Common Effluent Treatment Plants (CETPs) |
| 7. | ToR Status | ToR letter issued vide letter no. 05/SEIAA/2024 Bhopal dated 01/01/2024. |

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

| | | |
|---|---|---|
| 8. | Public Hearing details | Public Hearing date : 30 /07/2025.<br>**Major issued raised during Public Hearing.**<br>➢ Land compensation & farm water Pipeline compensation. |
| 9. | Area in ha. | 384 ha. |
| 10. | Area Statement | (see table below) |

| Particulars | Area (Ha) | In % |
|---|---|---|
| Abadi | 8.16 | |
| Net Planning Area | 376.10 | 100 |
| Industrial | 240.57 | 63.97 |
| MSME Plots | 2.88 | 0.76 |
| Plug And Play | 23.82 | 6.33 |
| Open/Green Area | 61.17 | 16.26 |
| Parking Area | 1.73 | 0.46 |
| OHT, ETP, WTP, LABOUR Welfere shelter. | 6.95 | 1.85 |
| Road Area | 38.98 | 10.36 |
| Total Area | 384.6 | |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | Water requirement | • Construction Phase – 5.13 MLD<br>• Operational Phase – 8 MLD |
| 12. | Water Source | Mahi Dam Reservoir (Water permission WRD letter no 293 dated on 12.06.2023) |
| 13. | Power Requirement | • Construction Phase – 1000 KVA<br>• Operation phase - 50 MVA<br>**Source** - Madhya Pradesh Power Transmission Co. Ltd (MPPTCL) |
| 14. | Waste Water Generation | Effluent Generation – 5.16 MLD |
| 15. | CETP(Common Effluent Treatment Plant) | Proposed 10 MLD Common Effluent Treatment Plant based on ZLD, comprise ROs {5 stages} MEE and drier {1MLD} with one stand by drier. |
| 16. | Solid & Hazardous Waste Generation | MSW Waste – 75 TPD<br>Industrial waste -100 TPD |
| 17. | Manpower Requirement | • Construction Phase – ~ 250 Nos.<br>• Operational Phase – ~ 1,00,000 Nos. |
| 18. | Total Project Cost | 210.41 Cr. |
| 19. | EMP Cost | • Capital Cost – 18619.4 Lakh<br>• O & M Cost – 2066 Lakh/year |

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

| | | |
|---|---|---|
| 20. | CER Cost (1% of total Project Cost) | 210.0 Lakh |

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं 817 वी बैठक दिनांक 05.08.2025 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः—

1. As committed in SEAC during presentation please ensure as follows:
   - To make provision in EMP Operational Phase for Capital Cost 700 Lakhs and O&M Cost of 200 Lakhs for River Mitigation Plan and measures and to make provisions for Dyke wall.
   - Dedicated area in Services Area near Substation admeasuring 1000sqm will be reserved for waste management and waste collection facility. MPIDC have dedicated facility of waste disposal at Upcoming Industrial Area: IA Kasarbardi, Petlavad, Jhabua, map showing upcoming area attached. The proposed IA will develop additional facility of hazardous waste disposal by Adani Group in the vicinity of the Project site. Arrangement for transportations of waste generated by the industries from the industrial area shall be done as per CPCB and MPPCB guidelines. Membership for the industries of the same shall be given by MPIDC. All necessary membership and agreement shall be executed once the facility is operational.
   - To ensure smooth functioning of CETP Components by upscaled and enhanced buffer capacity and ensured that STP Process shall be separate from CETP Process. Also, CETP shall be equipped with all the latest monitoring equipment to ensure efficiency and Continuous Monitoring.
   - To install 2 No. Continuous Air Monitoring System in the Industrial Park for monitoring.
   - No Fresh water will be requiring for development of Green Belt and all the member industries shall be bound to reuse the treated water.
   - No Collection or Water Tank shall be near the project periphery near the River.
2. SEAC समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गए प्रतिबद्धता के अनुसार श्रेणी ए के अंतर्गत आने वाले किसी भी उद्योग को औद्योगिक पार्क क्षेत्र में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
3. प्रस्तावित औद्योगिक पार्क और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) का निर्माण एवं अपशिष्ट परिवहन नेटवर्क का कार्य मौजूदा केंद्रीय/ स्थानीय नियम और विनियम की पुष्टि करते हुए सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

4. परियोजना प्रस्तावक केवल पार्क की सदस्य इकाइयों से ही अपशिष्ट जल स्वीकार करेगा और किसी भी परिस्थिति में अन्य इकाई को सीईटीपी का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जाएँ।

5. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करे कि उपचारित अपशिष्ट की पूरी मात्रा सदस्य इकाइयों द्वारा पुनर्चक्रित/पुनः उपयोग की जाएगी और किसी भी सदस्य इकाइ द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन (industrial effluent discharge) नहीं किया जावेगा।

6. औद्योगिक पार्क में स्थापित होने वाली परियोजनाओं को EIA अधिसूचना 2006 में सम्मिलित होने के स्थिति में पृथक से परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

7. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण सम्बंधित सुरक्षा, वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था, उद्योगों से निकलने वाली दूषित जल की उपचार एवं पुनरुपयोग की व्यवस्था आदि का समय समय पर निरक्षण किया जाना सुनिश्चित करे।

8. परियोजना प्रस्तावक स्थानीय लोगो के जमीन परियोजना में शामिल होने की दशा में मुआवजा दिए जाने सम्बंधित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

9. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पूर्ण रूप से EMP में प्रस्तावित सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे।

10. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं $CO_2$ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्न अनिवार्य रूप से किया जाये।

11. माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण या अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक पर बाध्यकारी होगा।

12. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–

    a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
    b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
    c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

| | | |
|---|---|---|
| (दीपक आर्य)<br>सदस्य सचिव | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)<br>सदस्य | (शिव नारायण सिंह चौहान)<br>अध्यक्ष |

13. Project proponent ensure to resettlement site should be equipped with essential amenities like Samudayik Bhavan (Community Hall), an Overhead Water Tank (OHT), a Prathamic Health centre, Anganwadi, School, Internal road, Garden, Open space etc under Rehabilitation & resettlement plan as committted .

14. PP shall ensure that, land required for the proposed project is acquired and possession is taken only after payment of compensation to the land holders as per the provision of the Right to fair compensation and transparency in land acquisition Act amended from time to time.

15. Unit shall explore the use of Renewable energy to the maximum extent possible to make the project energy – efficient through energy efficient device and adoption of modes of alternative ecofriendly source of energy like solar water heater, solar lighting etc.

16. Each member units shall provide necessary treatment facility of suitable capacity followed by collection sump and effluent transfer facility with suitable piping and valve, prior to making discharge in to conveyance system.

17. Any wastewater or hazardous wastes of other industries other than textile park shall not be received / disposed in textile park for its treatment or its disposal in textile park, in any case.

18. Enough care shall be taken to prevent any leakages/accidental spillages during conveyance of the untreated effluent from member units to the CETP as well as treated effluent from the CETP to member units for its recycle/reuse.

19. Parking space to accommodate trucks, cars, two wheelers and bicycles shall be provided as per the norms.

**20.** PP should ensure the implementation of CER activities on regular basis in consultation with the Gram Panchayat of the respective villages & also adopt nearby villages for development of infrastructure in Anganwadi.

| | | |
|---|---|---|
| (दीपक आर्य)<br>सदस्य सचिव | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)<br>सदस्य | (शिव नारायण सिंह चौहान)<br>अध्यक्ष |

**2. Case No 9670/2023 Prior Environment Clearance for Bhadawar Dolomite Mines (Open cast semi mechanized method) in an area of 1.777 ha. (As per SEAC recommendation mineable area 1.477 ha.) for production capacity 50704 Tones per annum (As per SEAC recommendation), at Khasra No. 640, 639, 649, Village-Bhadawar, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) by Shri Subhash Chand Bansal, Partner, R/o MIGII, Housing Board Colony, Near Shanti Nagar, District-Katni (MP)-483773.**

उक्त प्रकरण में DEIAA द्वारा दिनांक 01.10.2018 को श्री के.दूर्गाराव, निवासी एम.आई.जी– 2 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, कटनी को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। उक्त लीज म.प्र. खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक2832/456/2022/12/2 दिनांक 17.06.2022 के माध्यम से मेसर्स यूनीवर्सल रिसोर्सेस के पक्ष में हस्तांतरित किया गया।

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 739वी बैठक दिनांक 23.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

- उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 849वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

*भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07.05.2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही*

***"........4. In view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA......"***

*के परिपालन में उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

- SEAC द्वारा 750वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लेते हुए प्रकरण पुनः प्राधिकरण को अग्रेषित किया गया :-

*अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 739वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कार्यवाही विवरण में अधिरोपित डिया शर्तो के पालन के बिंदु कमांक–6 "कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये" के स्थान पर प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्ते यथावत रहेंगी।*

- SEAC द्वारा 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लेते हुए प्रकरण पुनः प्राधिकरण को अग्रेषित किया गया:-

*समिति का अभिमत है कि यह एक प्रशासकीय निर्णय हैं, अतः सिया अपने स्तर पर निर्णय लेवें।*

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत विवरण पर समिति द्वारा पूर्व 739वी बैठक दिनांक 23/04/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।*

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

- प्राधिकरण द्वारा पुनः **856वी बैठक दिनांक 29.05.2024** में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

*"अतः उक्त प्रकरण में प्राधिकरण (SEIAA) की 849वी बैठक दिनांक 14.05.2024 के निर्णय को यथावत रखा जाता है। प्रकरण पुनः **SEAC** को अग्रेषित किया जाये।*

- उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा पुनः **859वी बैठक दिनांक 05.06.2024** में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

*"राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत दिनांक 13.09.2018 के बाद DEIAA द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति के निराकरण के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अभिमत प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण Delist किया जाता है, तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।"*

- प्रकरण में SEAC द्वारा 785वी **बैठक दिनांक** 15.04.2025 में पुनः प्राधिकरण को निम्नानुसार निर्णय के साथ अग्रेषित किया गया :-

*The case is reviewed by committee in light of previous recommendation and found fit to recommend for grant of EC hence, Committee decided to standby SEAC earlier recommendation made in SEAC 739th meeting dated 23.04.2024 and SEAC 754th meeting dated 20.05.2024.*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत समस्त दस्तवेजों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज हस्तांतरण हुई है तथा उक्त लीज के खसरा पंचशाला अनुसार टायवल लैण्ड है जिसकी कलेक्टर कटनी से सत्यापित सहमति भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है, लीज क्षेत्र के पास आबादी स्थित है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (दीपक आर्य)<br>सदस्य सचिव | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)<br>सदस्य | (शिव नारायण सिंह चौहान)<br>अध्यक्ष |

3. **प्रकरण क्र. P2/19/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री संजय कुमार जैन आत्मज श्री सुरेश चंन्द्र जैन, निवासी– बहादुरपूर, मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)–433443 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5025 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 909, ग्राम बसाहरी, तहसील खुरई, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 841वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

*"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर सागर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।"*

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी के संबंध में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS के माध्यम से कार्यालय (खनिज शाखा) सागर का पत्र क. 657 दिनांक 20.05.2024 अपलोड किया गया है।**

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 551 दिनांक 17.04.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृत जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.04.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)**<br>**सदस्य सचिव** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**<br>**सदस्य** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)**<br>**अध्यक्ष** |

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अंक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर एवं एचटी लाईन पोल से न्यूनतम 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के चारो ओर खुदे बैरियर जोन को रिस्टोर कर उस पर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**(दीपक आर्य)**
**सदस्य सचिव**

**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**
**सदस्य**

**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
**अध्यक्ष**

**4. Case No 10187/2023 Prior Environment Clearance for Harraha Stone Quarry in an area of 1.760 ha. (17447 cum per year) (Khasra No. 13/2/1, 13/2/2, 13/3/1, 14/1, 8/1), Village-Harraha, Tehsil-Mauganj, District-Rewa (MP) by Shri Amit Chauhan, Owner, R/o Adaypur Kamarjee, Tehsil-Churhat, District-Sidhi (MP)-486771, [433882] [EC-468150]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र कमांक 8726 दिनांक 22.12.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृत जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.12.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अंक्षाश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त रीवा की अध्यक्षता में गठित वन समिति की बैठक दिनांक 05.08.2022 की अनुशंसा अनुसार वन सीमा क्षेत्र की ओर 50 मीटर नो माईनिंग जोन छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य किया जाये। वन मंडलाधिकारी के निर्देशन में वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण किया जाये तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा किया जाये तथा अन्य सभी शर्तो का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(दीपक आर्य)**<br>**सदस्य सचिव** | **(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**<br>**सदस्य** | **(शिव नारायण सिंह चौहान)**<br>**अध्यक्ष** |

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(ii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

**(दीपक आर्य)**
**सदस्य सचिव**

**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**
**सदस्य**

**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
**अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

13.08.25

| | | |
|---|---|---|
| (दीपक आर्य)<br>**सदस्य सचिव** | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)<br>**सदस्य** | (शिव नारायण सिंह चौहान)<br>**अध्यक्ष** |

5. **Case No. 2586/2015: Prior Environmental Clearance for Basalt Stone Quarry (Opencast Semi-Mechanized Method) in an area of 2.00 ha. for production capacity of 11400 cum/year at Khasra nos. 888,889 at Village Banikhedi, Tehsil-Daloda, District-Mandsore (MP) by Shri Dinesh Patidar S/o Shri Ishwar Lal Patidar, R/o H.No. 444, Ward No. 156, Village Post Elchi, Daloda, District Mandsaur (M.P.)-458667**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु आनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–06 (Application for validity extension of EC) आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण के पत्र क. 3532 दिनांक 15–07–2015 द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु आनलाईन परिवेश पोर्टल निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है:–

1. लीज अनुबंध दिनांक 11.08.2014 अनुसार प्रथम लीज की अवधि दिनांक 11.08.2014 से दिनांक 10.08.2024 तक स्वीकृत है।
2. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला मन्दसौर का आदेश क. 318 दिनांक 28–02–2024 प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार लीज का नवकरण 10 वर्ष (दिनांक 11–08–2024 से 10–08–2034) तक किया गया है।
3. संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्दौर का पत्र दिनाक 19–01–2024 प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार पत्थर उत्खनन हेतु उत्पादन क्षमता 11400 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु खनन योजना अनुमोदित की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार किये जाने के पूर्व भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 एवं मार्च 2025 तक अद्यतन ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार SEAC से अभिमत लिया जाना उचित होगा। अतः प्रकरण परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

13.08.25
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष